भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 420

04 फ़रवरी, 2025 को उत्तर के लिए नियत

"तमिलनाडु के ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में एफएएमई ।। का कार्यान्वयन"

420 **श्री एस. जगतरक्षकन**:

क्या **भारी उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (एफएएमई।।) योजना के शुरू होने के पश्चात से इसके अंतर्गत स्वीकृत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माताओं और चार्जिंग स्टेशनों की राज्यवार और वर्षवार संख्या कितनी है;

(ख) फेम ।। योजना के अंतर्गत स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता की कुल राशि कितनी है और तमिलनाडु के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में राज्यवार स्थापित चार्जिंग स्टेशनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार तमिलनाडु के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ईवी की बढ़ती मांग को पूरा करने में स्थानीय निर्माताओं की सहायता करने और तमिलनाडु को योजना से पूरा लाभ मिलना सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट कार्रवाई की जाएगी?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम-II) योजना के तहत 75 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माताओं को पंजीकृत किया गया । राज्यवार इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**कुल**
बिहार	0	0	0	1	0	0	1
छत्तीसगढ	0	0	0	0	1	0	1
दिल्ली	3	2	3	4	0	0	12

गोवा	0	0	1	0	0	0	1
गुजरात	0	1	0	0	0	0	1
हरियाणा	3	3	4	3	0	0	13
कर्नाटक	2	1	1	2	0	0	6
महाराष्ट्र	4	2	1	4	4	0	15
पंजाब	0	1	0	0	0	0	1
राजस्थान	0	1	0	1	0	1	3
तमिलनाडु	2	0	2	1	0	0	5
तेलंगाना	0	1	2	0	0	1	4
उत्तर प्रदेश	1	2	3	1	1	0	8
उत्तराखंड	0	2	1	0	0	0	3
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	1	1
कुल योग	**15**	**16**	**18**	**17**	**6**	**3**	**75**

इसके अलावा, फेम-II योजना के तहत, एमएचआई ने मार्च 2023 में तीन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) अर्थात् इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को देश भर में अपने खुदरा दुकानों (आरओ) पर 7,432 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपये की सब्सिडी सहायता मंजूर की थी। इसके अलावा, एमएचआई ने मार्च 2024 में 980 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के उन्नयन के लिए अतिरिक्त 73.50 करोड़ रुपये मंजूर किए। इसके अलावा, 400 चार्जिंग स्टेशन भी मंजूर किए गए हैं जिन्हें विभिन्न राज्यों में अन्य संस्थाओं को ईओआई के माध्यम से आवंटित किया गया था।

(ख): पिछले पांच वर्षों (01.04.2019 से 31.03.2024) के दौरान ओईएम द्वारा दावा किए गए प्रोत्साहन के लिए उन्हें प्रतिपूर्ति की गई श्रेणीवार सब्सिडी निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**खंड**	**प्रोत्साहन राशि का भुगतान (करोड़ रुपए में)**
1	ई-2डब्लू (इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन)	4,375.59
2	ई-3डब्ल्यू (इलेक्ट्रिक तिपहिया)	845.61
3	ई-4डब्ल्यू (इलेक्ट्रिक चौपहिया)	399.12
4	ई-बसें*	1,322.00
	कुल	**6,942.32**

* राज्य परिवहन उपक्रमों को सब्सिडी राशि जारी की गई

फेम-II योजना के अंतर्गत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब तक स्वीकृत और जारी की गई राशि का सारांश निम्नानुसार है: -

ईवी पीसीएस की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रूपये में)	संवितरित राशि (करोड़ रूपये में)
10,985	912.50	633.43

इसके अलावा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से 01.01.2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, ओएमसीएस ने फेम योजना के तहत अपने खुदरा दुकानों (आरओ) पर 4523 ईवीसीएस स्थापित किए हैं, जिनमें से 251 ईवीसीएस को सक्रिय किया गया है। तमिलनाडु राज्य में, ओएमसीएस ने फेम-II योजना के तहत 444 ईवीसीएस स्थापित किए हैं। जिनमें से 6 को सक्रिय किया गया है। इसके अतिरिक्त, ओएमसीएस ने अपने स्वयं के धन से अपने खुदरा दुकानों पर 20035 ईवीसीएस स्थापित किए हैं। तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएसयू ओएमसीएस द्वारा स्थापित/सक्रिय किए गए ईवीसीएस का विवरण **संलग्नक** में दिया गया है ।

(ग): विद्युत मंत्रालय ने 17 सितंबर 2024 को "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश-2024" जारी किए हैं, जो तमिलनाडु राज्य पर भी लागू हैं। ये दिशानिर्देश कनेक्टेड और इंटरऑपरेबल ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बनाने के लिए मानकों और प्रोटोकॉल को रेखांकित करते हैं जिसमें बैटरी स्वैपिंग/चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

I. चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को लाइसेंस मुक्त गतिविधि घोषित किया गया।
II. डिस्कॉम्स को शीघ्र निबटान समयसीमा और स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ चार्जिंग स्टेशनों को 150 किलोवाट तक बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना होगा।
III. सार्वजनिक भूमि को सरकार/सार्वजनिक इकाई को राजस्व-साझाकरण मॉडल पर रुपये 1.0 /किलोवाट घंटा की दर से 10 वर्षों के लिए पेश किया जाएगा; तथा उसी न्यूनतम मूल्य (अर्थात 1.0 रुपये प्रति किलोवाट घंटा) पर बोली के माध्यम से निजी संस्थाओं को सार्वजनिक भूमि का आवंटन किया जाएगा।
IV. चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए सरकारी भूमि से संबंधित सार्वजनिक निविदा प्रौद्यगिकी एग्नोस्टिक होगी।
V. राज्य सरकारें चौबीसों घंटे परिचालन के लिए आवश्यक अनुमति सुनिश्चित करेंगी।
VI. 31 मार्च 2028 तक आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस) पर एकल-भाग टैरिफ का प्रावधान, सौर घंटों के दौरान 30% छूट और गैर-सौर घंटों के दौरान 30% अधिभार के साथ।
VII. ऑपरेटरों को ईवी यात्रा पोर्टल पर चार्जिंग स्टेशनों की मैपिंग के लिए डेटा उपलब्ध कराना होगा।

इसके अलावा, पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये का आवंटन विशेष रूप से तमिलनाडु सहित पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार पर केंद्रित है।

(घ): फेम-II योजना 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित की गई थी। इस योजना को तमिलनाडु राज्य सहित अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित किया गया था । इस योजना के अंतर्गत चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों, इनके असेंबली/सबअसेंबली- और पार्ट्स/सब-पार्ट्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

*****

संलग्नक

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएसयू ओएमसीएस द्वारा स्थापित/सक्रिय ईवीसीएस का विवरण

तमिलनाडु

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	फेम-II सब्सिडी योजना के अंतर्गत ईवी चार्जिंग स्टेशन		01.01.2025 तक तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपने स्वयं के धन से स्थापित ईवी चार्जिंग स्टेशनों की कुल संख्या
		01.01.2025 तक स्थापित ईवी चार्जर की संख्या	01.01.2025 तक सक्रिय ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या	
1	अंडमान और निकोबार	0	0	6
2	आंध्र प्रदेश	354	20	912
3	अरुणाचल प्रदेश	2	0	52
4	असम	83	2	448
5	बिहार	58	2	517
6	चंडीगढ़	0	0	23
7	छत्तीसगढ	30	1	498
8	दिल्ली	41	5	316
9	गोवा	9	0	70
10	गुजरात	312	50	1104
11	हरियाणा	366	3	1068
12	हिमाचल प्रदेश	21	0	136
13	जम्मू और कश्मीर	23	0	170
14	झारखंड	116	0	349
15	कर्नाटक	370	3	1516
16	केरल	208	0	679
17	लद्दाख	0	0	11
18	लक्षद्वीप	0	0	1
19	मध्य प्रदेश	154	6	1114
20	महाराष्ट्र	431	121	1595
21	मणिपुर	8	0	57
22	मेघालय	25	0	54
23	मिजोरम	2	0	16
24	नगालैंड	10	0	41
25	ओडिशा	114	0	661

26	पुदुचेरी	7	1	27
27	पंजाब	151	2	828
28	राजस्थान	351	7	1482
29	सिक्किम	1	0	12
30	**तमिलनाडु**	**444**	**6**	**1448**
31	तेलंगाना	238	1	1051
32	त्रिपुरा	1	0	55
33	उत्तर प्रदेश	269	10	2561
34	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	3	0	12
35	उत्तराखंड	41	4	212
36	पश्चिम बंगाल	280	7	933
कुल		**4523**	**251**	**20035**

*****